[2021] 10 एस. सी. आर. 514

गणेशन

बनाम

राज्य प्रतिनिधि। स्टेशन हाउस अधिकारी द्वारा

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 903)

29 अक्टूबर, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और एम. आर. शाह, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860: s.397-आयोजित की प्रयोज्यता: मामले को एस के भीतर लाने के लिए। 397 , अपराधी जो किसी भी घातक हथियार का उपयोग करता है,

या किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचाना एस के तहत न्यूनतम सजा के लिए उत्तरदायी होगा। 397 - एस के तहत 'अपराधी' शब्द। 397 'अपराधी' तक सीमित है जो किसी भी घातक हथियार का उपयोग करता है और डकैती करने के समय एक अपराधी द्वारा घातक हथियार का उपयोग करता है

एस को आकर्षित नहीं कर सकता है। 397 किसी अन्य अपराधी पर न्यूनतम सजा अधिरोपित करने के लिए जिसने किसी घातक हथियार का उपयोग नहीं किया है।

एक जगह जहाँ पी. डब्ल्यू.-1 साइकिल पर आ रहा था-ए.-1 कार में रह गया-ए.-2 से ए.-5 ने पी. डब्ल्यू.-1 को धक्का दिया, ए.-3 ने उसके सिर पर लोहे की छड़ से हमला किया और उनमें से एक ने Rs.60,000 वाला थैला तोड़ दिया। और साइकिल के हैंडल पर लटकते 16 ग्राम के आभूषण-जब पीडब्लू-2

ए-2 से ए-5 को भागने से रोका, ए-2 ने उसके सिर पर रॉड से हमला किया-सभी आरोपी उसके साथ मौके से भाग गए।

बैग-'बी' (फरार आरोपी) को छोड़कर आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए, जिस पर अलग से मुकदमा चलाया गया था-निचली अदालत ने आरोपी को एस के तहत दोषी ठहराया। 397 - अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा भी दोषसिद्धि की पुष्टि की गई-ए-1 और ए-3 द्वारा दायर तत्काल अपील-आयोजित: हथियार के उपयोग का आरोप ए-2 के खिलाफ था और आरोपी 'बी' अपीलार्थियों (ए-1 और ए-3) पर किसी भी हथियार का उपयोग करने का आरोप नहीं लगाया गया था, इसलिए अपीलार्थियों द्वारा किसी भी घातक हथियार के उपयोग के किसी भी आरोप के अभाव में, s.397 को आकर्षित नहीं किया जाएगा और उस हद तक उन्हें धाराओं के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए था। 397 – एस के तहत अपराध के संबंध में। 391 , अपीलार्थियों का निवेदन था कि एस के तहत अपराध के लिए कोई मामला भी नहीं बनाया गया था। 391 और उन्हें एस के तहत दंडित नहीं किया जा सकता है। 395

जैसा कि यह साबित करने की आवश्यकता है कि डकैती करने में पांच या अधिक व्यक्तियों की संलिप्तता है और केवल इस मामले में

चार व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और अभियोजन पक्ष पांच या अधिक व्यक्तियों की संलिप्तता साबित करने में विफल रहा-हालांकि, प्राथमिकी में, डकैती करने में शामिल पांच व्यक्तियों का संदर्भ था-यहां तक कि पांच व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया गया था-हालांकि, जब दो आरोपी फरार हो गए, तो मुकदमा विभाजित हो गया और तीन अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया-आरोपी 'बी' पर बाद में मुकदमा चलाया गया और एक व्यक्ति अभी भी फरार है-इसके अलावा, सभी अदालतों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए गए थे कि पांच व्यक्ति डकैती के अपराध में शामिल थे-केवल इसलिए कि कुछ आरोपी फरार हो गए थे और पांच से कम व्यक्ति आए थे।

मुकदमे में मुकदमा चलाया जाए, यह नहीं कहा जा सकता है कि एस के तहत अपराध। 391 एस के तहत दंडनीय। 395 यह नहीं बताया गया था-पांच या उससे अधिक व्यक्तियों द्वारा डकैती के अपराध में शामिल होने और उसे अंजाम देने पर विचार करने की आवश्यकता है, न कि पांच या उससे अधिक व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया था-एक बार जब यह सबूत पर पाया जाता है कि पांच या उससे अधिक व्यक्तियों ने संयुक्त रूप से डकैती का अपराध किया है या डकैती करने का प्रयास किया है, तो मामला धाराओं के तहत आएगा। 391 और यह 'डकैती' की परिभाषा के भीतर आएगा-इसलिए, तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलार्थी एस के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। 391 एस के तहत दंडनीय। 395 आईपीसी. दंड संहिता, 1860: s.395 और s। 397 - आवश्यक सामग्री 'डकैती' और कुछ नहीं बल्कि अभियुक्तों की संख्या में अंतर के साथ 'डकैती' का एक अतिरंजित संस्करण है-इसलिए, ऐसे मामले में भी जहां अभियुक्त को एस के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाता है। 397 , फिर भी उसे एस के तहत दंडित किया जा सकता है। 395 और उसके प्रति कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया जाएगा क्योंकि अंततः अभियोजन पक्ष को धाराओं के तहत दंडनीय अपराध के लिए 'डकैती' और डकैती 'को साबित करना होगा। 395 या एस के तहत। 397 - हालाँकि, अभियुक्त के खिलाफ मामले को एस के तहत लाने के लिए। 397 , अभियोजन पक्ष को एक अतिरिक्त तथ्य साबित करना होगा कि अपराधी ने किसी घातक हथियार का इस्तेमाल किया है या किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाई है, या किसी को मौत या गंभीर चोट पहुँचाने का प्रयास किया है।

व्यक्ति।

आपराधिक न्यायशास्त्र: अभियुक्त 'बी' को बरी करना, जिस पर घटना के बाद फरार होने के कारण अलग से मुकदमा चलाया गया था-अन्य अभियुक्तों द्वारा दावा किए गए 'बी' को बरी करने का लाभ-आयोजित: अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया जाना है और मुकदमे में दिए गए साक्षय के आधार पर दोषी ठहराया जाना है जिसमें [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वे दोषी ठहराए जाते हैं-'बी' पर 15 साल की अवधि के बाद मुकदमा चलाया गया

चूंकि उसका मुकदमा विभाजित हो गया था क्योंकि वह फरार हो गया था-'बी' के मामले में पारित बरी करने के आदेश से, ऐसा प्रतीत होता है कि 'बी' के मुकदमे के दौरान पीडब्लू1 मुकर गया-'बी' के मामले में, केवल पांच गवाहों से पूछताछ की गई और किसी भी कारण से अन्य गवाह नहीं थे। जाँच-इस मामले में, पीडब्लूआई ने न केवल अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया, बल्कि 15 गवाहों से पूछताछ की गई, इसलिए केवल इसलिए कि बाद के विभाजित मुकदमे में, 'बी' को बरी कर दिया गया, इस तरह के बरी होने का लाभ अपीलार्थियों-अभियुक्त के पक्ष में नहीं हो सकता है क्योंकि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ मामले को साबित करने में सफल रहा था।

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 आई. पी. सी. की धारा 390 के अनुसार, 'डकैती' के लिए या तो चोरी या जबरन वसूली होती है। चोरी करते समय, या

चोरी द्वारा प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयास करते हुए, अपराधी स्वेच्छा से किसी व्यक्ति की मौत या चोट पहुँचाने या गलत तरीके से रोकने या तत्काल मौत या तत्काल चोट लगने या तत्काल गलत तरीके से रोकने का प्रयास करता है, चोरी को 'डकैती' कहा जा सकता है। इसी तरह की स्थिति में 'जबरन वसूली' को 'डकैती' कहा जा सकता है। आई. पी. सी. की धारा 391 'डकैती' को परिभाषित करती है। जब पाँच या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से लूटपाट करते हैं या करने का प्रयास करते हैं, तो अभियुक्त को ऐसा कहा जा सकता है -

'डकैती' को अंजाम दिया। आई. पी. सी. की धारा 392 के अनुसार, जो कोई भी डकैती करता है, उसे दस साल तक की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। [पैरा 12.3] [534-एफ-जी; 535-ए-बी] 1.2 आई. पी. सी. की धारा 393 के अनुसार, डकैती करने का प्रयास करने पर भी सात साल तक के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है। आई. पी. सी. की धारा 394 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति, डकैती करने या करने का प्रयास करने में, स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है, तो ऐसा व्यक्ति और कोई अन्य व्यक्ति जो संयुक्त रूप से ऐसी डकैती करने या करने का प्रयास करने में शामिल है, उसे आजीवन कारावास या कठोर दंड दिया जाएगा।

एक अवधि के लिए कारावास जो दस साल तक बढ़ सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। आई. पी. सी. की धारा 395 में दंड का प्रावधान है।

'डकैती' के लिए। जो कोई भी डकैती करता है, उसे आजीवन कारावास या कठोर कारावास की सजा दी जाएगी।

राज्य प्रतिनिधि। स्टेशन हाउस अधिकारी द्वारा

जो दस साल तक बढ़ सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

[पैरा 12.3] [535-सी-ई]

1.3 हत्या के साथ डकैती के मामले में, यदि पांच या उससे अधिक व्यक्तियों में से कोई एक, जो संयुक्त रूप से डकैती कर रहा है, करता है

इस प्रकार डकैती करने में, उन व्यक्तियों में से प्रत्येक को मौत, या आजीवन कारावास, या दस साल तक की अवधि के लिए कठोर कारावास और जुर्माने की सजा दी जाएगी। आई. पी. सी. की धारा 397 के अनुसार, यदि डकैती या डकैती के समय अपराधी किसी घातक हथियार का उपयोग करता है, या गंभीर घटना का कारण बनता है। किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाना, या किसी व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर चोट पहुँचाने का प्रयास करना, वह कारावास जिसके साथ ऐसा अपराधी

सजा सात साल से कम नहीं होगी। इसी तरह, यदि डकैती या डकैती करने के समय, अपराधी किसी घातक हथियार से लैस है, तो वह कारावास जिससे ऐसे अपराधी को दंडित किया जाएगा, सात साल से कम नहीं होगा। उस पर

इन प्रावधानों को पढ़ने के साथ-साथ 'डकैती' करना अनिवार्य है। 'डकैती' को डकैती का एक अतिरंजित संस्करण कहा जा सकता है। यदि पाँच या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से डकैती करते हैं या करने का प्रयास करते हैं तो इसे 'डकैती' कहा जा सकता है। इसलिए, 'डकैती' और 'डकैती' के बीच एकमात्र अंतर संयुक्त रूप से 'डकैती' करने या करने का प्रयास करने में शामिल व्यक्तियों की संख्या होगी। द. 'डकैती' और 'डकैती' के लिए सजा समान होगी सिवाय इसके कि 'डकैती' के मामले में सजा के साथ हो सकती है

आजीवन कारावास। हालाँकि, 'हत्या के साथ डकैती' के मामले में सजा मौत के साथ भी हो सकती है। हालांकि, ऐसे मामले में जहां अपराधी किसी घातक हथियार या कारणों का उपयोग करता है

किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचाना, या किसी व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर चोट पहुँचाने का प्रयास करना-कारावास जिसके साथ ऐसा अपराधी

सजा सात साल से कम नहीं होगी। मामले को आई. पी. सी. की धारा 397 के भीतर लाने के लिए, जो अपराधी किसी भी घातक हथियार का उपयोग करता है, या किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है, वह आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत न्यूनतम सजा के लिए उत्तरदायी होगा। [पैरा 12.3,12.4] [535-ई-एच; 536-ए-सी]

2.1 आई. पी. सी. की धारा 392 और धारा 390 को अलग-अलग शब्दों में जोड़ा गया है। आई. पी. सी. की धारा 390,394,397 और 398 में प्रयुक्त शब्द है -

' अपराधी '। इसलिए, आई. पी. सी. की धारा 390 से 398 के उद्देश्य के लिए केवल अपराधी/व्यक्ति जिसने डकैती की और/या स्वेच्छा से [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चोट पहुँचाता है या ऐसी डकैती करने का प्रयास करता है और जो किसी भी घातक हथियार का उपयोग करता है या किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचाता है, या मृत्यु या गंभीर मृत्यु का कारण बनता है।

डकैती या डकैती करने वाले को अपराधों के लिए दंडित किया जा सकता है

आई. पी. सी. की धारा 390,392,393,394,395,397 और 398 के तहत। अभियुक्त को रचनात्मक दायित्व के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और केवल 'अपराधी' जो 'किसी भी घातक हथियार का उपयोग करता है।' दंडित किया। हालाँकि, जहाँ तक आई. पी. सी. की धारा 391 'डकैती' और आई. पी. सी. की धारा 396-'हत्या के साथ डकैती' का संबंध है, एक आरोपी को रचनात्मक दायित्व के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है, हालाँकि एकमात्र आवश्यकता पांच या अधिक व्यक्तियों की संलिप्तता होगी जो संयुक्त रूप से डकैती करना या करने का प्रयास करना-हत्या के साथ डकैती/डकैती। [पैरा 12.4] [536-डी-एफ]

2.2 आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत 'अपराधी' शब्द उस 'अपराधी' तक सीमित है जो किसी भी घातक हथियार और घातक हथियार का उपयोग करता है। डकैती के समय एक अपराधी द्वारा हथियार किसी अन्य अपराधी पर न्यूनतम सजा लगाने के लिए आई. पी. सी. की धारा 397 को आकर्षित नहीं कर सकता है जिसने किसी भी घातक हथियार का उपयोग नहीं किया है। यहाँ तक कि

आई. पी. सी. की धारा 397 और धारा 398 के बीच अंतर है। आई. पी. सी. की धारा 397 में उपयोग किया गया शब्द किसी भी घातक हथियार का 'उपयोग' करता है और आई. पी. सी. की धारा 398 में उपयोग किया गया शब्द 'अपराधी है।

किसी भी घातक हथियार से लैस '। इसलिए आई. पी. सी. की धारा 397 तब लागू होगी जब 'अपराधी' किसी घातक हथियार की धारा का उपयोग करता है।

397 आईपीसी. यहां तक कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार और यहां तक कि रिकॉर्ड पर साक्षय पर विचार करते हुए, यह देखा जा सकता है कि ए 1 और ए 3 पर किसी भी हथियार का उपयोग करने का आरोप नहीं है। किसी भी हथियार के उपयोग का आरोप ए-2 और 'बी' के खिलाफ था। इसलिए, अपीलार्थियों द्वारा किसी भी घातक हथियार के उपयोग के किसी भी आरोप के अभाव में - ए-1 और ए-3, आई. पी. सी. की धारा 397 को आकर्षित नहीं किया जाएगा और उस हद तक उन्हें अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए था।

आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत दंडनीय। [पैरा 12.7] [539-एफ-एच; 540-ए-सी]

श्री फूल कुमार बनाम। दिल्ली प्रशासन (1975) 1 एससीसी 797: [1975] 3 एस. सी. आर. 917; दिलावर सिंह बनाम दिल्ली राज्य

(2007) 12 एस. सी. सी. 641-पर निर्भर।

3.1 अब जहाँ तक अभियुक्त की ओर से यह निवेदन है कि अपीलकर्ता-अभियुक्त को अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है

आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत और यह कि जी. ए. एन. ई. एस. ए. एन. v. लाने की आवश्यकता।

राज्य प्रतिनिधि। स्टेशन हाउस अधिकारी द्वारा

आई. पी. सी. की धारा 395 के तहत दंडनीय आई. पी. सी. की धारा 391 के तहत मामला अर्थात् पांच या उससे अधिक व्यक्तियों ने संयुक्त रूप से डकैती की है और यह साबित नहीं हुआ है और केवल चार व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है और निचली अदालतों ने उन्हें दोषी नहीं ठहराया है।

आई. पी. सी. की धारा 395 के तहत दंडनीय धारा 391 के तहत अपराध के लिए आरोपी का संबंध है, शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सभी अभियुक्तों पर निचली अदालत द्वारा आई. पी. सी. की धारा 395 के साथ-साथ आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत अपराधों के लिए आरोप लगाया गया था। उपरोक्त अपराधों के साथ पक्षकार मुकदमे के लिए गए। इसलिए, एक बार आई. पी. सी. की धारा 395 के तहत दंडनीय आई. पी. सी. की धारा 391 के तहत मामला सामने आने के बाद, उन्हें आई. पी. सी. की धारा 395 के तहत दंडनीय आई. पी. सी. की धारा 391 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है क्योंकि आरोपी पर कोई पूर्वाग्रह नहीं डाला जाएगा। अन्यथा भी, जब किसी बड़े अपराध का आरोप नहीं लगाया जाता है, तो उक्त छोटे अपराध के लिए आरोप के अभाव में भी एक छोटे अपराध के लिए दोषसिद्धि कायम रखी जा सकती है। यदि किसी अभियुक्त पर गंभीर अपराध का आरोप लगाया जाता है, लेकिन वह योग्यता या तकनीकी प्रकृति की चूक के आधार पर स्थापित नहीं होता है, तो उसे दोषी ठहराया जा सकता है और आरोप में बदलाव किए बिना मामूली अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। [पैरा 14] [540-डी-एच]

रमेशभाई मोहनभाई कोली बनाम। गुजरात राज्य (2011)

11 एससीसी 111: [2010] 14 एस. सी. आर. 1 पर निर्भर था।

3.2 अन्यथा भी सजा/सजा के मामले में आई. पी. सी. की धारा 391/395 और धारा 397 के बीच कोई अंतर नहीं है।

आई. पी. सी. की धारा 397 के मामले में अंतर को छोड़कर सजा सात साल से कम नहीं होगी। अन्यथा, 'डकैती' और 'डकैती' अनिवार्य हैं। डकैती 'और कुछ नहीं बल्कि अभियुक्तों की संख्या में अंतर के साथ' डकैती 'का एक अतिरंजित संस्करण है।

इसलिए, ऐसे मामले में भी जहां आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है, फिर भी उसे आई. पी. सी. की धारा 395 के तहत दंडित किया जा सकता है और उसके लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया जाएगा क्योंकि अंततः अभियोजन पक्ष को आई. पी. सी. की धारा 395 के तहत या आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 'डकैती' और 'डकैती' को साबित करना होगा। हालांकि, आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 397 के तहत मामला लाने के लिए, अभियोजन पक्ष को एक अतिरिक्त तथ्य साबित करना होगा कि अपराधी ने किसी घातक हथियार का इस्तेमाल किया है या किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचाई है, या किसी व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर चोट पहुँचाने का प्रयास किया है। इसलिए, मामला [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. पी. सी. की धारा 391 और उन्हें आई. पी. सी. की धारा 395 के तहत दंडित नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो साबित करने की आवश्यकता है वह डकैती करने में पांच या अधिक व्यक्तियों की संलिप्तता है और वर्तमान मामले में केवल चार व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाता है और अभियोजन पक्ष पांच या अधिक व्यक्तियों की संलिप्तता साबित करने में विफल रहा है। हालाँकि, एफ़. आई. आर. में डकैती में शामिल पाँच लोगों का ज़िक्र था। यहाँ तक कि पाँच लोगों के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया गया था। हालाँकि, जब दो आरोपी फरार हो गए, तो मुकदमा विभाजित हो गया और तीन अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया। एक आरोपी 'बी' पर बाद में मुकदमा चलाया गया और एक व्यक्ति अभी भी फरार है। यहां तक कि सभी अदालतों द्वारा नीचे दिए गए समवर्ती निष्कर्ष भी दर्ज किए गए हैं कि पांच व्यक्ति डकैती के अपराध में शामिल थे। केवल इसलिए कि कुछ आरोपी फरार हो गए और मुकदमे में पाँच से कम व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया, यह नहीं कहा जा सकता है कि आई. पी. सी. की धारा 391 के तहत दंडनीय अपराध आई. पी. सी. की धारा 395 के तहत दंडनीय नहीं है। इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों द्वारा डकैती के अपराध में शामिल होना और उसे अंजाम देना, न कि पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया था या नहीं। एक बार जब यह साक्षय पर पाया जाता है कि पाँच या अधिक व्यक्तियों ने संयुक्त रूप से डकैती या लूट का अपराध किया है।

डकैती करने का प्रयास एक मामला धारा के तहत आएगा

391 आई. पी. सी. और 'डकैती' की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। इसलिए, तथ्यों और परिस्थितियों में, आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 391 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है जो आई. पी. सी. की धारा 395 के तहत दंडनीय है। [पैरा 16] [542-डी-एच; 543-ए] गणेशन बनाम।

राज्य प्रतिनिधि। स्टेशन हाउस अधिकारी द्वारा

3.4 अब जहाँ तक अभियुक्त की ओर से यह निवेदन है कि बाद के मुकदमे में अभियुक्तों में से एक-'बी' को बरी कर दिया गया है और इसलिए 'बी' के बरी होने का लाभ वर्तमान अभियुक्त को दिया जाना चाहिए और उसके बाद उन्हें बरी किया जा सकता है, इसका कोई आधार नहीं है। अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया जाना है और मुकदमे में दिए गए साक्षय के आधार पर उन्हें दोषी ठहराया जाना है जिसमें वे दोषी ठहराए गए हैं। यह भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि 'बी' पर 15 साल की अवधि के बाद मुकदमा चलाया गया क्योंकि उसका मुकदमा विभाजित था क्योंकि वह फरार था। पारित किए गए फैसले और बरी करने के आदेश से 'बी' के मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि 'बी' के मामले में मुकदमे के दौरान पीडब्लू1 मुकर गया। 'बी' के मामले में केवल पाँच गवाहों से पूछताछ की गई और किसी भी कारण से अन्य गवाहों से पूछताछ नहीं की गई। वर्तमान मामले में, पीडब्लू1 ने न केवल समर्थन किया है

अभियोजन पक्ष का मामला लेकिन कम से कम 15 गवाहों से पूछताछ की गई। इसलिए, केवल इसलिए कि बाद के विभाजित मुकदमे 'बी' में बरी होने के कारण इस तरह के बरी होने का लाभ वर्तमान अपीलार्थियों-अभियुक्तों के पक्ष में नहीं हो सकता है क्योंकि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ मामले को साबित करने में सफल रहा है। [पैरा 17] [543-बी-ई]

अमृता वी. एम. पी. राज्य (2004) 12 एस. सी. सी. 224; गंगाधर बेहरा बनाम। उड़ीसा राज्य (2002) 8 एससीसी 381 [2002] 3

पूरक। एस. सी. आर. 183; राजा बनाम। राज्य (2013) 12 एससीसी 674: [2013] 9 एस. सी. आर. 230-पर निर्भर।

राज कुमार उर्फ राजू बनाम। उत्तरांचल राज्य (2008) 11 एस. सी. सी. 397; बीरबल बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन सभी 845; मोहन सिंह बनाम। पंजाब राज्य एयर

1963 एससी 174: [1962] पूरक। एस. सी. आर. 848; राम बिलास सिंह और अन्य। वी. बिहार राज्य [1964] 1 एससीआर 775; मनमीत सिंह @गोल्डी बनाम। पंजाब राज्य (2015) 7 एससीसी 167: [2015] 3 एस. सी. आर. 773; हर्भजन सिंह बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य (1975) 4 एस. सी. सी. 480; सत्य नारायणन बनाम। राज्य प्रतिनिधि। पुलिस निरीक्षक द्वारा (2012) 12 एस. सी. सी. 627: [2012] 10 एस. सी. आर. 950; राजू मांझी बनाम बिहार राज्य

(2019) 12 एस. सी. सी. 784; रफीक अहमद बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2011) 8 एस. सी. सी. 300 [2011] 11 एस. सी. आर. 907; प्रेमा एस. राव बनाम यादला श्रीनिवास राव (2003) 1 एस. सी. सी. 217: [2002] 3 पूरक। एस. सी. आर. 339-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1975] 3 एससीआर 917

उस पर भरोसा करें

(2007) 12 एस. सी. सी. 641

उस पर भरोसा करें

(2008) 11 एस. सी. सी. 397

संदर्भित किया गया है

[1962] पूरक। एससीआर 848

संदर्भित किया गया है

[1964] 1 एससीआर 775

संदर्भित किया गया है

[2015] 3 एससीआर 773

संदर्भित किया गया है

(1975) 4 एससीसी 480

संदर्भित किया गया है

[2012] 10 एससीआर 950

संदर्भित किया गया है

(2019) 12 एस. सी. सी. 784

संदर्भित किया गया है

[2011] 11 एससीआर 907

संदर्भित किया गया है

[2002] 3 पूरक। एससीआर 339

संदर्भित किया गया है

[2010] 14 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

(2004) 12 एससीसी 224

उस पर भरोसा करें

[2002] 3 पूरक। एससीआर 183

उस पर भरोसा करें

[2013] 9 एससीआर 230

उस पर भरोसा करें

न्यायनिर्णय: क्रिम

आपराधिक अपील

903 2021 से।

के 16.07.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2 की आपराधिक अपील No.429 में मद्रास में न्यायपालिका

के साथ

2021 की आपराधिक अपील No.904।

जी. शिवबलमुरुगन, पी. आर. कोविलन पूंगकुंड्रन

श्रीमती गीता कोविलन, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

डॉ. जोसेफ अरस्तू एस., सुश्री प्रीति सिंह, सुश्री रिपू

अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

गणेशन वी. राज्य प्रतिनिधि। स्टेशन हाउस अधिकारी द्वारा

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और दिनांक 16.07.2019 आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

आपराधिक आर. सी. सं. में मद्रास में न्यायिक कार्य। 405 और 2012 का 429 जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त पुनरीक्षण आवेदनों को खारिज कर दिया है और लर्नड फर्स्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल-लर्नड सेशन कोर्ट द्वारा पुष्टि किए गए लर्नड ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि की है, जिसमें अपीलार्थियों को दोषी ठहराया गया है-मूल अभियुक्त सं। 1 और अभियुक्त नं। 4 आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत अपराध के लिए वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी जाती है। 2. 2021 की आपराधिक अपील No.903 को आरोपी गणेशन द्वारा मूल आरोपी के रूप में पसंद किया गया है-A1 और 2021 की आपराधिक अपील No.904 को आरोपी षण्मुगम @बाबू-A3 द्वारा पसंद किया गया है। इस स्तर पर यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि शुरू में धारा 395 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पांच व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।

भारतीय दंड संहिता की धारा 397 (इसके बाद 'आई. पी. सी.' के रूप में संदर्भित) के साथ पढ़ा गया और गणेशन को ए 1 के रूप में दिखाया गया, एक बेनी जो संबंधित समय पर फरार था, उसे ए 2 के रूप में दिखाया गया, एक प्रभाकरण को दिखाया गया।

ए 3 के रूप में, षण्मुगम @बाबू को ए 4 के रूप में दिखाया गया था और एक शाहजहां को ए 5 के रूप में दिखाया गया था। हालांकि, प्रासंगिक समय पर ए 2-बेनी और ए 5 -

शाहजहां फरार हो गया, मुकदमे को अलग कर दिया गया और मुकदमे के बाद गणेशन को ए 1, प्रभाकरण को ए 2 और शनमुगम को ए 3 के रूप में दिखाया गया। बेनी को बाद में 15 साल की अवधि के बाद गिरफ्तार किया गया था और इसलिए उन पर अलग से मुकदमा चलाया गया और 15.11.2018 के फैसले और आदेश के अनुसार उन्हें बरी कर दिया गया है (बेनी को बरी करने पर इसके बाद विचार किया जाएगा)।

3. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, आरोपी द्वारा संयुक्त रूप से लूट के इरादे से-अल से ए 5 लगभग 8 बजे: 00 19.08.1996 पर अपराह्न

नं. वाली कार में आगे बढ़े। टी. एन. 31 8686 चाकू के साथ कुड्डालोर से और लोहे का पाइप और पनरुती पहुँच गया। अल-गणेशन कार में रहे और ए 2 को ए 5 को भेज दिया। योजना के अनुसार ए 2 से ए 5 ने Rs.60,000/- की डकैती की। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पीडब्लू1-दुरैसामी वल्लालार स्ट्रीट, पनरुती के पास साइकिल के साथ आया जहां उन्होंने उसे धक्का दिया और ए 3 प्रभाकरण ने सिर और दाहिने हाथ की उंगली पर लोहे की छड़ से हमला किया।

और उसे घायल कर दिया और 2 से 5 अभियुक्तों में से एक ने गवाह दुरैसामी के साइकिल के हैंडल बार में लटका हुआ बैग तोड़ दिया जिसमें Rs.60,000/और 16 ग्राम के गहने थे और भाग गया। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, जब गवाह पलानीवेल ने आरोपी 2 से 5 को भागने से रोका, [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पाँच अभियुक्तों के विरुद्ध। हालाँकि, ए 3-बेनी और ए 5-शाहजहां के फरार होने पर मुकदमा विभाजित हो गया और गणेशन, प्रभाकरण और षण्मुगम के खिलाफ मुकदमा आगे बढ़ा। मुकदमे में गणेशन को ए 1, प्रभाकरण को ए 3 और शनमुगम को ए 4 के रूप में दिखाया गया था। बताया जाता है कि शाहजहां भी अभी फरार है। कि अभियुक्त ने इनकार कर दिया आरोप और इसलिए उन पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के दौरान, अभियुक्त के खिलाफ मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों से पूछताछ की। अभियोजन पक्ष ने थिरू की जाँच की

पी. डब्ल्यू. 1 के रूप में दुरैसामी, शिकायतकर्ता और घायल नेत्र-गवाह पी. डब्ल्यू. 2 के रूप में थिरू पलानीवेल, पी. डब्ल्यू. 3 के रूप में थिरू अरविंद कुमार और पी. डब्ल्यू. 4 के रूप में थिरू अशोक कुमार। अभियोजन पक्ष ने पी. डब्ल्यू. 5 के रूप में थिरू षण्मुगम, पी. डब्ल्यू. 1 का इलाज करने वाले डॉक्टर थिरू इलनगोवन की पी. डब्ल्यू. 10 के रूप में जांच की। अभियोजन पक्ष ने आई. ओ. थिरू सुब्रमण्यन से पी. डब्ल्यू. 13 के रूप में भी पूछताछ की। उपरोक्त गवाहों के माध्यम से अभियोजन पक्ष ने दस्तावेजी साक्षय भी दर्ज किए। अभिलेख पर संपूर्ण साक्षय, मौखिक के साथ-साथ वृत्तचित्र, दोनों की सराहना करने पर, 2009 की एस. सी. <आई. डी. 2 में दिनांकित निर्णय और आदेश के माध्यम से लर्नड ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और उन्हें प्रत्येक को 7 साल के आर. आई. से गुजरने और चूक में एक साल के आर. आई. से गुजरने की सजा सुनाई।

4. अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए लर्नड ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना। आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत दंडनीय अपराध के लिए और

7 साल की सजा आर. आई., आरोपी गणेशन और षण्मुगम-ए 1 और ए 3 क्रमशः (2010 की आपराधिक अपील No.48 वाली पसंदीदा अपील) विद्वान सत्र न्यायालय के समक्ष)। कि 03.01.2012 दिनांकित निर्णय और आदेश द्वारा, विद्वान सत्र न्यायालय ने उक्त अपील को खारिज कर दिया और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि की। उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश द्वारा आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत दोषसिद्धि की पुष्टि की है।

5. संशोधन आवेदनों और जी. ए. एन. ई. एस. ए. एन. v. को खारिज करने में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

राज्य प्रतिनिधि। स्टेशन हाउस अधिकारी द्वारा [एम. आर. शाह, जे.]

आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए, ए 1 गणेशन ने 2021 की आपराधिक अपील को प्राथमिकता दी है और ए 3 षणमुगम ने 2021 की आपराधिक अपील को प्राथमिकता दी है। जैसा कि बाद में ऊपर देखा गया है, अपराध की घटना से 15 साल की अवधि के बाद मूल अभियुक्त सं। 2 – बेनी को पकड़ लिया गया और वह आ गया

अलग से कोशिश की। 2018 के सत्र मामले No.12 में और इसके निर्णय और दिनांक 15.11.2018 के आदेश से उन्हें बरी कर दिया गया है। अभियुक्त बेनी के बरी होने के फैसले पर चर्चा की जाएगी और नीचे विचार किया जाएगा।

6. अभियुक्त गणेशन की ओर से प्रस्तुतियाँ

2021 की आपराधिक अपील No.903

अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील-गणेशन ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

(1) कि एफ़. आई. आर. संदेह से भरी हुई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीडब्लू1 दुरैसामी ने अपदस्थ किया कि घटना लगभग 11 बजे 19.08.1996 पर हुई थी: 00 पीएम और उन पर आरोपी व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया और तुरंत वे बेहोश हो गए और फिर उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया और एक सप्ताह के बाद वे होश में आ गए। इसके विपरीत पीडब्लू 13-आई. ओ. ने बयान दिया कि वह सुबह 2:30 बजे सरकारी अस्पताल पहुंचा और पीडब्लू 1-दुरैसामी का बयान दर्ज किया और वह सुबह 3 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचा और बयान के आधार पर उसने आई. पी. सी. की धारा 394 के तहत 1996 का अपराध दर्ज किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पी. डब्ल्यू. 13 भी अपने क्रूस पर

जाँच ने स्वीकार किया कि शिकायत में न तो शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर पाए गए और न ही अंगूठे पर चिपकाया गया।
यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए शिकायत Ex.P1 अस्तित्व में नहीं आ सकती थी जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा दावा किया गया है और परिणामस्वरूप आई. ओ. द्वारा दर्ज की गई एफ़. आई. आर. कानूनी रूप से अस्वीकार्य है;

(2) अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान नहीं की गई है।

स्थापित किया गया क्योंकि कोई परीक्षण पहचान परेड (टी. आई. पी.) कार्यवाही आयोजित नहीं की गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में पुलिस द्वारा कोई टी. आई.

पी. नहीं की गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष भी, अभियोजन पक्ष के गवाहों ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि वे इस कारण से अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान नहीं कर सके कि; (i) घटना के बाद पीडब्लू1 बेहोश हो जाता है; (ii)

पीडब्लू2 ने अपदस्थ किया "क्या मैं अभियुक्त को जानता था, मुझे याद नहीं था कि कितना समय बीत गया है"; (iii) पीडब्लू3 ने अपदस्थ किया "चूंकि 14 साल बीत चुके हैं, इसलिए मैं याद नहीं रख सका और यह नहीं बता सका कि अब पहले उन व्यक्तियों में से वह व्यक्ति कौन है। यह न्यायालय "। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यहां तक कि पीडब्लू3 ने भी अपदस्थ किया कि "घटना के समय, घटना स्थल अंधेरा और बरसात वाला था"; (iv) पीडब्लू4 ने यह भी अपदस्थ किया कि "क्योंकि 14 साल बीत चुके हैं, वे सही ढंग से नहीं बता सके"।

6.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि दुर्घटना रजिस्टर में भी पीडब्लू 10-डॉक्टर ने दर्ज किया कि उन्हें सूचित किया गया था कि शिकायतकर्ता था तीन अज्ञात लोगों द्वारा हमला किया गया। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह शामिल व्यक्तियों की संख्या के बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है कि क्या 3 या 5; आरोपी गणेशन ने अपराध में भाग नहीं लिया क्योंकि वह कार में था और इसलिए आईपीसी की धारा 397 को आकर्षित नहीं किया जाएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार भी, आरोपी गणेशन कार में था और वह घटना स्थल पर नहीं आया था और इसलिए उसे आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है; यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह एक स्थापित कानून है कि 'अपराधी' शब्द 'अपराधी' तक सीमित है जो किसी भी घातक हथियार का उपयोग करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि डकैती के समय घातक हथियार का उपयोग किसी अन्य अपराधी पर न्यूनतम सजा लगाने के लिए आई. पी. सी. की धारा 397 को आकर्षित नहीं कर सकता है जिसने किसी भी घातक हथियार का उपयोग नहीं किया था। भारी।

श्री फूल कुमार में इस न्यायालय के फैसलों पर निर्भरता रखी गई है। बनाम दिल्ली प्रशासन (1975) 1 एस. सी. सी. 797 (पैरा 5 और 6) और दिलावर सिंह बनाम दिल्ली राज्य, (2007) 12 एस. सी. सी. 641 (पैरा 19 से 22)। यह आगे अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

गणेशन ने कहा कि मूल आरोपी बेनी को बरी कर दिया गया है।

न्यायालय ने 15.11.2018 दिनांकित निर्णय के माध्यम से। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह एक स्थापित कानून है कि यदि अभियुक्त और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोप एक ही हैं तो वे अविभाज्य हैं और प्रकृति में अविभाज्य, सह-अभियुक्त के बरी होने का लाभ अन्य

अभियुक्त व्यक्तियों को भी दिया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार अल से ए 5 मामले में शामिल थे। यह है।

प्रस्तुत किया कि पीडब्लू भी पहचान नहीं कर सके और यह इंगित नहीं कर सके कि पीडब्लू1 और पीडब्लू2 को किसने हराया।

6.2 . यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी पीडब्लू1 और पीडब्लू2 को होने वाली चोट प्रकृति में सरल है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि के अनुसार चिकित्सा अभिलेख, पीडब्लू1 और पीडब्लू2 के कारण होने वाली चोटें साधारण चोटें हैं।

राज्य प्रतिनिधि। स्टेशन हाउस अधिकारी द्वारा [एम. आर. शाह, जे.]

वर्तमान मामले में बरामद किया गया और इसलिए, आई. पी. सी. की धारा 397 को सेवा में नहीं लगाया जा सकता है। 6.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्तमान मामले में शामिल अभियुक्त व्यक्तियों की संख्या पाँच थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों ने कहा कि इसमें शामिल अभियुक्त व्यक्तियों की संख्या 3 से अधिक नहीं थी। यह है।

प्रस्तुत किया कि केवल उस मामले में जहां पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति डकैती करते हैं या डकैती करने का प्रयास करते हैं, यह डकैती होगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

यह लूट का एक उग्र रूप है और आम तौर पर डाकू घातक हथियारों से लैस होता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में भी, अभियोजन पक्ष भी वर्तमान मामले में शामिल अभियुक्त व्यक्तियों की संख्या के बारे में निश्चित नहीं है, इसलिए लर्नड ट्रायल कोर्ट ने आई. पी. सी. की धारा 395 और 397 के तहत आरोप पत्र दायर करने के बावजूद अकेले आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत आरोप तय किए।

6.4 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि पीडब्लू2 से पीडब्लू4 तक भी विश्वसनीय और भरोसेमंद चश्मदीद गवाह नहीं हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दूरी को देखते हुए

घर और घटना स्थल के बीच, पीडब्लू1 का चिल्लाना सुनना संभव नहीं है और वे आरोपी द्वारा डकैती का अपराध किए जाने के बाद ही घटना स्थल पर पहुंचे।

6.5 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आरोप पत्र दाखिल करने और मुकदमा चलाने में भी अत्यधिक देरी होती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि अभियुक्त गणेशन द्वारा की गई अपील की अनुमति दी जाए और उसे अपराध के लिए बरी कर दिया जाए आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत दंडनीय जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया है।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. 2021 की आपराधिक अपील No.904 में आरोपी षण्मुगम @बाबू की ओर से प्रस्तुतियाँ अभियुक्त-गणेशन की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुतियों के अलावा, यह विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

अभियुक्त की ओर से-षण्मुगम कि वर्तमान मामले में डकैती के लिए कोई ठोस आरोप या दोषसिद्धि नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी अभियुक्त की दोषसिद्धि केवल मूल आरोप पर हो सकती है और अन्यथा नहीं, इसके लिए किसी भी सबूत के अभाव में। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, मूल आरोप केवल आई. पी. सी. की धारा 395 (डकैती) के तहत है और अन्यथा भी कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं है कि आरोपी -

षण्मुगम ने कोई भी प्रहार किया और/या किसी भी घातक हथियार का उपयोग किया और/या कोई गंभीर चोट पहुंचाई। अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत दंडनीय अपराध के लिए रचनात्मक दायित्व के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। रिलायंस को मोहन सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 174 के मामले में इस अदालत के फैसले पर रखा गया है।

7.1 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि डकैती के लिए किसी भी आरोप के अभाव में

धारा 378 (चोरी), धारा 383 के साथ पठित धारा 390/392 के तहत (जबरन वसूली) या तो आरोप पत्र के रूप में या आरोपों के रूप में, अभियुक्त को उपरोक्त अपराधों के लिए भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि डकैती और कुछ नहीं बल्कि अभियुक्तों (पाँच या अधिक) की संख्या में अंतर के साथ डकैती का एक अतिरंजित संस्करण है जो डकैती के प्रमाण के लिए एक अनिवार्य शर्त है। के निर्णयों पर भरोसा रखा जाता है

राम बिलास सिंह और अन्य के मामले में यह न्यायालय। बनाम। बिहार राज्य, (1964) 1 एससीआर 775; राज कुमार @राजू (सुप्रा) और मनमीत सिंह @गोल्डी बनाम पंजाब राज्य, (2015) 7 एससीसी 167। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी अभियुक्त-षण्मुगम के मामले में, उसे सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान के आधार पर दोषी ठहराया गया है जो साक्षय में अस्वीकार्य है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ए 1-गणेशन और ए 2-बेनी का इकबालिया बयान जो पुलिस अधिकारी के समक्ष है, सबूत में अस्वीकार्य है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि ए 1-गणेशन और ए 2-बेनी के तथाकथित इकबालिया बयानों के अलावा आरोपी-षण्मुगम के खिलाफ कोई अन्य सबूत नहीं है। उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील की अनुमति दी जाए और बरी कर दिया जाए अभियुक्त-षण्मुगम आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत दंडनीय अपराध के लिए जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया है।

8. तमिलनाडु राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील डॉ. जोसेफ अरस्तू एस. ने दृढ़ता से प्रस्तुत किया है कि तथ्यों में

और मामले की परिस्थितियों जैसे कि नीचे दिए गए न्यायालयों में गणेशन बनाम नहीं है।

राज्य प्रतिनिधि। स्टेशन हाउस अधिकारी द्वारा [एम. आर. शाह, जे.]

गणेशन-ए 1 और षण्मुगम बाबू-ए 3 को दोषी ठहराने में कोई गलती की।

8.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में उपस्थिति

अपराध के समय अभियुक्त को अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजी और मौखिक दोनों साक्षयों का नेतृत्व करते हुए स्थापित और साबित किया गया है।

8.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार समवर्ती निष्कर्ष हैं

निम्न न्यायालयों, अर्थात् विद्वत विचारण न्यायालय, प्रथम अपीलीय न्यायालय और उसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित और इसलिए अनुच्छेद 136 के तहत शक्तियों के प्रयोग में हस्तक्षेप

संविधान समर्थित नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पारित उच्च न्यायालय का आदेश संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत किसी भी हस्तक्षेप का आह्वान नहीं करता है।

19.08.1996 . पीडब्लू10 ने पीडब्लू1 और पीडब्लू2 का इलाज किया और दुर्घटना रजिस्टर में प्रविष्टियां कीं। सरकारी अस्पताल से जानकारी मिलने पर, पीडब्लू 13 अस्पताल गया और सुबह 2:30 बजे पीडब्लू 1 का बयान दर्ज किया और सुबह 3 बजे प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस के पास आया जिसे Ex.P1 के रूप में चिह्नित किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि पीडब्लू1 की दोनों हाथों की उंगलियों में गंभीर चोटें थीं, जिसकी पुष्टि चिकित्सा साक्षय से होती है, इसलिए वह शिकायत पर केवल अंगूठे का निशान लगाने में सक्षम था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि घायल होने के तुरंत बाद बेहोश होने के बारे में पीडब्लू1 की गवाही में विसंगति का उपयोग उसके खिलाफ नहीं किया जा सकता है क्योंकि उक्त बयान 14 साल के अंतराल के बाद दिया गया था। घटना की तारीख। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसे कि पीडब्लू1 के साक्षय को ध्यान से पढ़ने पर इसका मतलब समझा जा सकता है कि पीडब्लू1 चला गया।

पीडब्लू 13 को शिकायत देने के बाद ही बेहोश हो जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय दोनों द्वारा उचित रूप से सराहा गया है, पीडब्लू10 और पीडब्लू13 की गवाही की पुष्टि की जाती है और अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही के अनुरूप होती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि नेत्र और इस मामले में चिकित्सा साक्षय की पुष्टि की गई है और इसमें किसी भी प्रतिकूल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, परीक्षण पहचान परेड (टी. आई. पी.) करने में विफलता अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं है क्योंकि

अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करते हुए घायल पीडब्लू1 और पीडब्लू2 के गवाह विवरणों सहित अन्य भारी सबूत हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि टी. आई. पी. सबूत का एक ठोस टुकड़ा नहीं है और केवल तभी भरोसा किया जा सकता है जब ठोस सबूत अप्रमाणित हो। पहचान परीक्षण मुख्य रूप से मदद करने के उद्देश्य से होते हैं

जाँच एजेंसी इस आश्वासन के साथ कि अपराध की जाँच के साथ उनकी प्रगति सही दिशा में आगे बढ़ रही है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो जांच एजेंसी को एक अधिकार रखने या प्रदान करने के लिए बाध्य करता है।

अभियुक्त पर टी. आई. पी. का दावा करने का अधिकार। रिलायंस को इस अदालत के फैसले पर रखा गया है, जो कि हर्भजन सिंह बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य के मामले में है। (1975) 4 एससीसी 480।

8.6 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष

इसने स्पष्ट रूप से पाँच अभियुक्तों की उपस्थिति स्थापित की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पांच अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया गया था, हालांकि दो अभियुक्त फरार हो गए और इसलिए, तीन अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा आगे बढ़ा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा पाँच अभियुक्त व्यक्तियों की संलिप्तता दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं और इसलिए आई. पी. सी. की धारा 395 को आकर्षित किया जाएगा।

8.7 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा जाँच करके ए 1-गणेशन की उपस्थिति स्थापित की गई है।

पीडब्लू6, पीडब्लू11 और पीडब्लू14। यह प्रस्तुत किया जाता है कि Ex.P10 के माध्यम से, A1 को 21.08.1996 पर गिरफ्तार किया गया था।

8.8 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि पाँच व्यक्तियों की उपस्थिति भी

अपराध करने में शामिल होने की पुष्टि की गई है और आई. पी. सी. की धारा 395 को आकर्षित किया जाएगा।

8.9 यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि पीडब्लू11 शत्रुतापूर्ण हो गया, यह कानून में एक स्थापित सिद्धांत है कि शत्रुतापूर्ण गवाह के साक्षय पर भरोसा किया जा सकता है

जिस हद तक इसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया। सत्य नारायणन बनाम राज्य प्रतिनिधि मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा रखा गया है। पुलिस निरीक्षक द्वारा, (2012) 12 एस. सी. सी. 627। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जांच अधिकारी के समक्ष ए 2 के कबूलनामे के दौरान संयुक्त हमले और गहने और नकदी की चोरी के बारे में जिसमें उसने कहा था कि वह-ए 2 गणेशन, शाहजहां, षण्मुगम और एक अन्य व्यक्ति वहाँ थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त स्वीकारोक्ति और लोहे की छड़ की बरामदगी के आधार पर और

ए 2 के स्वीकारोक्ति में प्राप्त जानकारी, वसूली और जी. ए. एन. ई. एस. ए. एन. वी. थी।

राज्य प्रतिनिधि। स्टेशन हाउस अधिकारी द्वारा [एम. आर. शाह, जे.]

अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी। इस दलील के समर्थन में कि इकबालिया बयान पर कुछ परिस्थितियों पर भरोसा किया जा सकता है, राजू मांझी बनाम बिहार राज्य, (2019) 12 एस. सी. सी. 784 के मामले में भरोसा रखा गया है।

8.10 यह प्रस्तुत किया जाता है कि गवाहों ने अदालत में कुछ अभियुक्तों और साथ ही कुछ अन्य अभियुक्तों की पहचान की है स्वीकारोक्ति से प्राप्त जानकारी से गिरफ्तार किया गया है

बयान। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी, गवाहों द्वारा सभी अभियुक्तों की पहचान न होने से अभियोजन पक्ष का मामला विशेष रूप से डकैती और डकैती के मामलों में दूषित नहीं होगा। राज्य के विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि कानून के तय किए गए प्रस्ताव के अनुसार एक जघन्य या गंभीर अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति को संज्ञेय प्रकृति के कम गंभीर अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। रिलायंस को रफीक अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य पर रखा गया है। , (2011) 8 एस. सी. सी. 300 और के. प्रेमा एस. राव बनाम यादला श्रीनिवास राव, (2003) 1 एस. सी. सी. 217।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के वर्तमान तथ्यों में, आरोप

आई. पी. सी. की धारा 397 के साथ पठित धारा 395 के तहत अपराधों के लिए उचित रूप से तैयार किया गया था और अपराधों के लिए सामग्री अभियोजन पक्ष द्वारा उचित संदेह से परे साबित की गई है, अन्यथा वैकल्पिक रूप से, आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत आरोपी की दोषसिद्धि को बनाए रखा जा सकता है।

9. उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए वर्तमान को खारिज करने की प्रार्थना की जाती है।

अपीलें करें।

10. संबंधित पक्षों के लिए विद्वान सलाहकारों को विस्तार से सुना।

11. वर्तमान अपीलों को मूल आरोपी नंबर 1-गणेशन और आरोपी नंबर 3-शनमुगम @बाबू द्वारा चुनौती दी गई है।

आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत अपराध के लिए उनकी सजा। प्रारम्भ में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अपराध के समय अभियुक्त की उपस्थिति पर लर्नड ट्रायल कोर्ट, लर्नड सेशन कोर्ट और उच्च न्यायालय द्वारा समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं। और उनकी सक्रिय भागीदारी। अपराध के समय उनकी उपस्थिति स्थापित की गई है और अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया गया है

मुकदमे के दौरान संबंधित गवाहों की जाँच करना।

11.1 पीडब्लू1-दुरैसामी, पीडब्लू2-पलानीवेल और पीडब्लू3-अरविंद कुमार तीन चश्मदीद गवाह हैं, जिनमें से पीडब्लू1 और पीडब्लू2 घायल चश्मदीद गवाह हैं। हमने प्रासंगिक गवाहों के बयानों को विस्तार से देखा है, विशेष रूप से पीडब्लू1, पीडब्लू2 और पीडब्लू3 और यहां तक कि

पीडब्लू11 (जो शत्रुतापूर्ण हो गया) और चिकित्सा साक्षय और कुछ [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अदालत में पहचाने गए आरोपी, हमारी राय है कि उपस्थिति और अभियोजन पक्ष द्वारा उनकी भागीदारी स्थापित और साबित की गई है। कुछ अंतर्विरोध हैं, हालांकि पूरे साक्षय को पढ़ने पर, हमारी राय है कि अंतर्विरोध ऐसे भौतिक अंतर्विरोध नहीं हैं जो समग्र रूप से अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित करते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि लगभग 14 वर्षों के बाद गवाहों से पूछताछ की गई

पारित हो गए हैं और इसलिए कुछ विरोधाभास हो सकते हैं। कानून के तय किए गए प्रस्ताव के अनुसार केवल वे अंतर्विरोध जो भौतिक अंतर्विरोध हैं, ऐसी सामग्री के संदेह और लाभ पैदा कर सकते हैं।

अभियुक्त को विरोधाभास दिया जा सकता है। 12. उपरोक्त निष्कर्षों और टिप्पणियों के आलोक में अब हम योग्यता के आधार पर अन्य प्रस्तुतियों पर विचार कर सकते हैं।

12.1 अभियुक्त की ओर से यह मामला है कि आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत अपराध के लिए उनकी दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है। यह भी है

अभियुक्त की ओर से यह मामला कि आई. पी. सी. की धारा 391 के तहत दंडनीय अपराध के लिए भी आई. पी. सी. की धारा 395 के तहत पांच या अधिक व्यक्तियों की डकैती में संलिप्तता अनिवार्य है। अभियुक्त की ओर से यह मामला है कि वर्तमान मामले में केवल तीन अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया और बाद में एक अन्य अभियुक्त बेनी पर मुकदमा चलाया गया और इसलिए आई. पी. सी. की धारा 391

(डकैती) के तहत मामले को लाने के लिए पूर्ववर्ती शर्त को पूरा नहीं किया गया है क्योंकि अपराध में पाँच या अधिक व्यक्तियों की संलिप्तता स्थापित और साबित नहीं हुई है और केवल चार अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया है। अभियुक्त की ओर से यह भी मामला है कि निचली अदालतों ने आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराने में भौतिक रूप से गलती की है, भले ही अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार वर्तमान अपीलार्थी अभियुक्त संख्या। 1 और 3 ने किसी भी घातक हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। श्री फूल कुमार (सुप्रा) और दिलावर सिंह के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा करते हुए

(सुप्रा), यह प्रस्तुत किया जाता है कि जिस आरोपी ने डकैती के समय किसी भी घातक हथियार का उपयोग नहीं किया है, उसे इसके तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

न्यूनतम दंड अधिरोपित करने के लिए आई. पी. सी. की धारा 397 को आकर्षित करना। अभियुक्त की ओर से यह भी मामला है कि एक अन्य अभियुक्त बेनी को बाद में बरी कर दिया गया और इसलिए बेनी को बरी करने का लाभ वर्तमान अपीलार्थी-अभियुक्त को जाना चाहिए। 12.2 उपरोक्त प्रस्तुतियों की सराहना करने के लिए 'डकैती' और 'डकैती' के संबंध में प्रासंगिक प्रावधान गणेशन बनाम होना आवश्यक है।

राज्य प्रतिनिधि। स्टेशन हाउस अधिकारी द्वारा [एम. आर. शाह, जे.]

लाल। प्रासंगिक प्रावधान आई. पी. सी. की धारा 390 से लेकर धारा 390 तक होंगे।

पी. सी. जो नीचे लिखा है:

" 390. डकैती। सभी डकैती में या तो चोरी होती है या फिर जबरन वसूली।

जब चोरी लूट होती है। चोरी "डकैती" है यदि, चोरी करने के लिए, या चोरी करने के लिए, या चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयास करने के लिए, अपराधी, उस उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से किसी व्यक्ति की मृत्यु या चोट पहुँचाने या गलत तरीके से रोकने, या तत्काल डर का कारण बनता है या प्रयास करता है।

मृत्यु या तत्काल चोट, या तत्काल गलत संयम।

जब जबरन वसूली लूट होती है। जबरन वसूली "डकैती" है यदि

अपराधी, जबरन वसूली के समय, उपस्थिति में है

भयभीत व्यक्ति का, और उस व्यक्ति को तत्काल मृत्यु, तत्काल चोट लगने, या उस व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को तत्काल गलत तरीके से रोकने के डर में डाल कर जबरन वसूली करता है, और इस तरह डर में डालते हुए, उस व्यक्ति को प्रेरित करता है जो तब और वहाँ डर में रहता है

ऊपर की चीज़ छीन ली गई।

स्पष्टीकरण। अपराधी को उपस्थित कहा जाता है यदि वह है

पर्याप्त रूप से दूसरे व्यक्ति को तत्काल मृत्यु, तत्काल चोट, या तत्काल गलत संयम के डर में डालने के लिए।

391. डकैती। जब पाँच या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से डकैती करते हैं या करने का प्रयास करते हैं, या जहां कुल संख्या में व्यक्ति संयुक्त रूप से डकैती करते हैं या करने का प्रयास करते हैं, और व्यक्ति 1 प्रस्तुत करते हैं। उप. 1955 के अधिनियम 26 द्वारा, एस। 117 और

एससी। , "जीवन के लिए परिवहन" के लिए (डब्ल्यू. ई. एफ. 1-1-1956)। 99 और इस तरह के कमीशन या प्रयास में सहायता करने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति की राशि पाँच या उससे अधिक होगी।

अतः ऐसा करना, प्रयास करना या सहायता करना, को "डकैती" करना कहा जाता है।

392. डकैती के लिए सजा। जो कोई भी डकैती करता है, उसे दस साल तक की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, और जुर्माना भी लगाया जाएगा; और, यदि डकैती सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच राजमार्ग पर की जाती है, तो कारावास को चौदह साल तक बढ़ाया जा सकता है। 393. लूटपाट का प्रयास। जो भी कोशिश करे

डकैती करने के लिए कठोर कारावास की सजा दी जाएगी जो सात साल तक बढ़ सकती है और दंडनीय भी होगी। ठीक करने के लिए।

394. लूटपाट करने में स्वेच्छा से चोट पहुँचाना। अगर कोई व्यक्ति, लूटपाट करने या करने के प्रयास में, स्वेच्छा से [2021] 10 एस. सी. आर.

चोट पहुँचाने वाला ऐसा व्यक्ति और ऐसी डकैती करने या करने का प्रयास करने में संयुक्त रूप से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति, 1 [आजीवन कारावास], या दस साल तक की अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

395. डकैती के लिए सजा। जो कोई भी डकैती करता है उसे 1 [आजीवन कारावास], या दस साल तक की अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

396. हत्या के साथ डकैती। यदि पांच या उससे अधिक व्यक्तियों में से कोई एक, जो संयुक्त रूप से डकैती कर रहा है, इस तरह की डकैती में हत्या करता है, तो उन व्यक्तियों में से प्रत्येक को मौत,

या [आजीवन कारावास], या दस साल तक की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, और वह उत्तरदायी भी होगा। ठीक करने के लिए।

397. डकैती, या डकैती, मृत्यु या गंभीर चोट पहुँचाने के प्रयास के साथ। - यदि, डकैती या डकैती करने के समय, अपराधी किसी घातक हथियार का उपयोग करता है, या किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचाता है, या किसी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट पहुँचाने का प्रयास करता है, तो वह कारावास जिससे ऐसे अपराधी को दंडित किया जाएगा, सात साल से कम नहीं होगा।

398. सशस्त्र होने पर डकैती या डकैती करने का प्रयास

घातक हथियार के साथ। यदि, डकैती या डकैती करने के प्रयास के समय, अपराधी किसी घातक हथियार से लैस है,
कारावास जिसके साथ ऐसे अपराधी को दंडित किया जाएगा

सात साल से कम नहीं होना चाहिए।

12.3 आई. पी. सी. की धारा 390 के अनुसार, 'डकैती' के लिए या तो चोरी या जबरन वसूली होती है। जब चोरी करने में, या चोरी करने में, या द्वारा प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयास करने में चोरी, अपराधी, स्वेच्छा से किसी व्यक्ति की मृत्यु या चोट पहुँचाने या गलत तरीके से रोकने या तत्काल मृत्यु या मृत्यु का डर पैदा करने का प्रयास करता है।

तत्काल चोट, या तत्काल गलत तरीके से रोकने के लिए चोरी को 'डकैती' कहा जा सकता है। इसी तरह की स्थिति में 'जबरन वसूली' को 'डकैती' कहा जा सकता है। आई. पी. सी. की धारा 390 के स्पष्टीकरण के अनुसार अपराधी को उपस्थित कहा जाता है यदि वह दूसरे व्यक्ति को तत्काल मृत्यु, तत्काल चोट लगने या तत्काल गलत तरीके से रोकने के डर में डालने के लिए पर्याप्त रूप से पास है।

गणेशन वी. राज्य प्रतिनिधि। स्टेशन हाउस अधिकारी द्वारा

[एम. आर. शाह, जे.]

आई. पी. सी. की धारा 391 'डकैती' को परिभाषित करती है। जब पाँच या अधिक व्यक्ति

जुर्माने के साथ सात साल। आई. पी. सी. की धारा 394 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपराध करने में या डकैती करने का प्रयास करने में, स्वेच्छा से चोट पहुँचाने में, ऐसे व्यक्ति और ऐसी डकैती करने या करने का प्रयास करने में संयुक्त रूप से शामिल किसी अन्य व्यक्ति को आजीवन कारावास या कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो दस साल तक की अवधि के लिए हो सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

आई. पी. सी. की धारा 395 में 'डकैती' के लिए सजा का प्रावधान है। जो कोई भी डकैती करता है उसे आजीवन कारावास या कारावास की सजा दी जाएगी।

एक अवधि के लिए कठोर कारावास जो दस साल तक बढ़ सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

हत्या के साथ डकैती के मामले में यदि पाँच या अधिक व्यक्तियों में से कोई एक,

जो संयुक्त रूप से डकैती कर रहे हैं, इस तरह से डकैती करते हुए हत्या कर रहे हैं, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को मौत या आजीवन कारावास या दस साल तक की अवधि के लिए कठोर कारावास और जुर्माने की सजा दी जाएगी।

आई. पी. सी. की धारा 397 के अनुसार यदि डकैती करने के समय या

डकैती, अपराधी किसी भी घातक हथियार का उपयोग करता है, या किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचाता है, या किसी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट पहुँचाने का प्रयास करता है, कारावास जिसके साथ ऐसे अपराधी को दंडित किया जाएगा वह सात साल से कम नहीं होगा।

इसी तरह, यदि डकैती या डकैती करने के समय अपराधी किसी घातक हथियार से लैस है, तो वह कारावास जिससे ऐसे अपराधी को दंडित किया जाएगा, सात साल से कम नहीं होगा।

डकैती का अतिरंजित संस्करण। यदि पाँच या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से प्रतिबद्ध हैं या डकैती करने का प्रयास इसे 'डकैती' करना कहा जा सकता है।

इसलिए, 'डकैती' और 'डकैती' के बीच एकमात्र अंतर यह होगा कि संयुक्त रूप से अपराध या डकैती करने में शामिल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी।

एक 'डकैती' करने का प्रयास। 'डकैती' और 'डकैती' के लिए सजा समान होगी, सिवाय इसके कि 'डकैती' के मामले में सजा आजीवन कारावास के साथ हो सकती है। हालाँकि, 'हत्या के साथ डकैती' के मामले में सजा मौत के साथ भी हो सकती है। हालांकि, ऐसे मामले में जहां अपराधी किसी घातक हथियार का उपयोग करता है या गंभीर चोट पहुंचाता है

कोई व्यक्ति, या किसी व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर चोट पहुँचाने का प्रयास, कारावास जिसके साथ ऐसे अपराधी को दंडित किया जाएगा, सात साल से कम नहीं होगा। अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने उचित रूप से प्रस्तुत किया है कि मामले को आई. पी. सी. की धारा 397 के भीतर लाने के लिए, अपराधी जो किसी भी घातक हथियार का उपयोग करता है, या गंभीर स्थिति का कारण बनता है।

स्वेच्छा से चोट पहुँचाता है या ऐसी डकैती करने का प्रयास करता है और जो किसी भी घातक हथियार का उपयोग करता है या किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचाता है, या डकैती या डकैती के समय किसी भी व्यक्ति को धारा 390 के तहत अपराधों के लिए दंडित किया जा सकता है।

392 , 393 , 394 , 395 और 397 और 398 आई. पी. सी. उपरोक्त के लिए आरोपी को रचनात्मक दायित्व के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और केवल 'अपराधी' को दंडित किया जा सकता है जो 'किसी भी घातक हथियार का उपयोग करता है।' हालाँकि, जहाँ तक आई. पी. सी. की धारा 391 'डकैती' और आई. पी. सी. की धारा 396-'हत्या के साथ डकैती' का संबंध है, एक आरोपी को रचनात्मक दायित्व के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है, हालाँकि एकमात्र आवश्यकता यह होगी कि पाँच या अधिक व्यक्तियों की भागीदारी जो संयुक्त रूप से कार्य करते हैं या प्रयास करते हैं

डकैती करना-हत्या के साथ डकैती/डकैती।

12.5 इस स्तर पर श्री फूल कुमार (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय के फैसले को संदर्भित करने की आवश्यकता है। उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 397 और 398 का अवलोकन और विचार किया है और

उपर्युक्त प्रावधानों की व्याख्या, जिसमें इसका अवलोकन और आयोजन किया जाता है

पैराग्राफ 5 से 7 निम्नानुसार है:

" 5. दंड संहिता की धारा 392 में प्रावधान है:

" जो भी डकैती करेगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। एक अवधि के लिए कारावास जो दस साल तक बढ़ सकता है, और गणेशन v।

राज्य प्रतिनिधि। स्टेशन हाउस अधिकारी द्वारा [एम. आर. शाह, जे.]

जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा; और, यदि सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच राजमार्ग पर डकैती की जाती है, तो कारावास को चौदह साल तक बढ़ाया जा सकता है।

धारा 392 के तहत दी जाने वाली कारावास की सजा

सात वर्ष से कम नहीं हो सकता है यदि डकैती करने के समय अपराधी किसी घातक हथियार का उपयोग करता है या किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचाता है या किसी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट पहुँचाने का प्रयास करता है: धारा 397 के अनुसार। धारा 397 में "उपयोग" शब्द के अर्थ के बारे में कई उच्च न्यायालयों में कठिनाई उत्पन्न हुई। उस धारा में "अपराधी" शब्द, जैसा कि कई उच्च न्यायालयों द्वारा उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है, किसी भी घातक हथियार का उपयोग करने वाले अपराधी तक ही सीमित है। इसका उपयोग

डकैती के समय एक अपराधी द्वारा घातक हथियार का अधिरोपण धारा 397 को आकर्षित नहीं कर सकता है। किसी अन्य अपराधी पर न्यूनतम सजा जिसने किसी घातक हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था। इस मामले में दोषियों में से किसी एक द्वारा बंदूक का उपयोग, चाहे वह आरोपी राम कुमार हो या कोई और, (निश्चित रूप से एक व्यक्ति था जिसने तीन गोलियां चलाई थीं) धारा 397 की सहायता से अपीलार्थी को सजा देने का आधार नहीं हो सकता था और न ही यह आधार रहा है। जहाँ तक उसका संबंध है, कहा जाता है कि वह एक चाकू से लैस था जो एक घातक हथियार भी है। अधिक होने के लिए

पीडब्लू 16 के साक्षय से सटीक "फूल कुमार के हाथ में एक चाकू था"। इसलिए वह एक घातक हथियार ले जा रहा था।

पीड़ितों का दृष्टिकोण उन्हें डराने या आतंकित करने के लिए पर्याप्त है। अपराधी को दंड संहिता की धारा 397 के दायरे में लाने के लिए कोई अन्य प्रत्यक्ष कार्य, जैसे कि चाकू लहराना या उससे गंभीर चोट पहुंचाना आवश्यक नहीं था।

6. धारा 398 में "किसी भी घातक हथियार से लैस" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है और इसमें दी गई न्यूनतम सजा भी सात साल है यदि डकैती करने का प्रयास करते समय अपराधी किसी भी घातक हथियार से लैस है। यह एक बनाया है

विसंगति। यह सोचना अनुचित है कि यदि अपराधी जिसने केवल डकैती करने का प्रयास किया, लेकिन उसे करने में सफल नहीं हुआ, वह धारा 398 के तहत न्यूनतम सात साल की सजा को आकर्षित करता है, यदि वह केवल किसी घातक हथियार से लैस है, जबकि इस तरह से सशस्त्र अपराधी को न्यूनतम दायित्व नहीं भुगतना पड़ेगा। धारा 397 के तहत सजा यदि वह डकैती करने में सफल रहा। लेकिन फिर, विधानमंडल द्वारा दो धाराओं में अलग-अलग शब्दों के उपयोग के पीछे क्या उद्देश्य था। धारा 397 में "का उपयोग करता है और धारा 398 में" सशस्त्र है "। हमारे निर्णय में [2021] 10 एस. सी. आर.

विसंगति का समाधान किया जाता है यदि दोनों शब्दों को समान दिया जाता है

अर्थ। खंडों में दो अलग-अलग अभिव्यक्तियों के उपयोग के लिए एक उचित व्याख्या प्रतीत होती है। जब डकैती का अपराध किसी अपराधी द्वारा एक घातक हथियार से लैस होने पर किया जाता है जो पीड़ित की दृष्टि में था ताकि वह अपने दिमाग में आतंक पैदा करने में सक्षम हो, तो अपराधी को होना चाहिए

माना जाता है कि उसने डकैती में उस घातक हथियार का इस्तेमाल किया था। दूसरी ओर, यदि कोई अपराधी डकैती करने के प्रयास के समय घातक हथियार से लैस था, तो हथियार का कोई उपयोगी उपयोग नहीं किया जाता था क्योंकि यह तभी उपयोगी होता जब अपराधी डकैती करने में सफल होता।

7. यदि घातक हथियार का उपयोग वास्तव में अपराधी द्वारा डकैती करने में किया जाता है जैसे कि गंभीर चोट, मृत्यु या इस तरह के अन्य मामलों में तो इसका स्पष्ट रूप से उपयोग किया जाता है। चंद्रा के मामलों में नाथ बनाम। सम्राट [ए. आई. आर. 1932 अवध 103]; नगर सिंह बनाम। सम्राट [ए. आई. आर. 1933 लाह 35] और इंदर सिंह बनाम। सम्राट [ए. आई. आर. 1934 लाह 522] ने हथियार लहराने जैसे कुछ स्पष्ट कार्य किए।

किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ उसे डराने के लिए या उसके शिकार को डराने के लिए घातक हथियार प्रदर्शित करने के लिए आकर्षित करने के लिए आयोजित किया गया है

दंड संहिता की धारा 397 के प्रावधान। जे. सी. शाह और व्यास, जे. बंबई उच्च न्यायालय ने गोविंद दीपाजी मोरे बनाम के मामले में कहा है। [ए. आई. आर. 1956 बम 353] में कहा गया है कि यदि चाकू का उपयोग किसी व्यक्ति के दिमाग पर ऐसी छाप डालने के उद्देश्य से किया गया था कि वह अपनी संपत्ति को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा, तो यह हथियार का 'उपयोग' करने के बराबर होगा।

धारा 397 का अर्थ। उस मामले में भी अपीलार्थी के खिलाफ सबूत यह था कि जब वह पीड़ित की दुकान पर गया तो उसके हाथ में चाकू था। हमारी राय में यह कानून का सही दृष्टिकोण है और चंद के मामले में "उपयोग" शब्द को दिया गया सीमित अर्थ है।

सिंह [आई. एल. आर. (1970) 2 पुंज और हर 108] सही नहीं है।

12.6 . उपरोक्त दृष्टिकोण को बाद में दिलावर सिंह (सुप्रा) के मामले में और पैराग्राफ 19 से 21 में दोहराया गया है।

निम्नानुसार संरक्षित और आयोजित किया गया:

" 19. आई. पी. सी. की धारा 397 के आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं:

1. आरोपी ने लूटपाट की।

गणेशन वी. राज्य प्रतिनिधि। स्टेशन हाउस अधिकारी द्वारा [एम. आर. शाह, जे.]

2. डकैती या डकैती करते समय (i) अभियुक्त ने घातक हथियार का इस्तेमाल किया (ii) किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचाने के लिए (iii) किसी भी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट पहुँचाने का प्रयास किया।

3. " अपराधी "केवल उस अपराधी को संदर्भित करता है जिसने वास्तव में घातक हथियार का उपयोग किया था। जब केवल एक ने घातक हथियार का इस्तेमाल किया है, तो दूसरों को न्यूनतम सजा नहीं दी जा सकती है। यह केवल व्यक्तिगत दायित्व की परिकल्पना करता है न कि किसी रचनात्मक दायित्व की। आई. पी. सी. की धारा 397 केवल उस विशेष आरोपी के खिलाफ है जो घातक हथियार का उपयोग करता है या आई. पी. सी. में उल्लिखित किसी भी कार्य को करता है।

प्रावधान। लेकिन अन्य अभियुक्त उस धारा के तहत सह-अभियुक्त के कृत्यों के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं हैं।

20. जैसा कि इस न्यायालय ने फूल कुमार बनाम में उल्लेख किया है। दिल्ली प्रशासन। [(1975) 1 एससीसी 797: 1975 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 336: ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 905] आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत "अपराधी" शब्द किसी भी घातक हथियार का उपयोग करने वाले अपराधी तक ही सीमित है। डकैती के समय एक अपराधी द्वारा घातक हथियार का उपयोग दूसरे पर न्यूनतम सजा लगाने के लिए आईपीसी की धारा 397 को आकर्षित नहीं कर सकता है। अपराधी जिसने किसी भी घातक हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था। आई. पी. सी. की धारा 397 और आई. पी. सी. की धारा 398 में उपयोग किए गए "उपयोग" के बीच अंतर है। आई. पी. सी. की धारा 397 का अर्थ केवल हथियारों से लैस होने से कुछ अधिक है।

घातक हथियार।

21. तत्काल मामले में कोई चोट नहीं लगी है। दिमाग में आतंक पैदा करने के लिए अपराधी द्वारा हथियार का उपयोग

पीड़ित पर्याप्त है। आगे यह दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि इसका उपयोग वास्तव में काटने, छुरा घोंपने या गोली चलाने के लिए किया गया था, जैसा कि मामला हो सकता है। [अशफाक वी. देखें। राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार) [(2004) 3 एस. सी. सी.

116 : 2004 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 687: ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 1253]।

12.7 . इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त दो निर्णयों में निर्धारित कानून के अनुसार आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत 'अपराधी' शब्द इन तक सीमित है - 'अपराधी' जो किसी भी घातक हथियार और घातक हथियार का उपयोग करता है

डकैती करने के समय एक अपराधी द्वारा किसी अन्य अपराधी पर न्यूनतम सजा अधिरोपित करने के लिए आई. पी. सी. की धारा 397 को आकर्षित नहीं किया जा सकता है जिसने किसी घातक हथियार का उपयोग नहीं किया है। यहां तक कि आई. पी. सी. की धारा 397 और धारा 398 के बीच भी अंतर है। आई. पी. सी. की धारा 397 में उपयोग किया गया शब्द किसी भी घातक हथियार का 'उपयोग' करता है और आई. पी. सी. की धारा 398 में उपयोग किया गया शब्द 'अपराधी किसी भी घातक हथियार से लैस है' है।

इसलिए, आई. पी. सी. की धारा 397 को आकर्षित करने के उद्देश्य से 'अपराधी' जो आई. पी. सी. की धारा 397 के किसी भी घातक हथियार का 'उपयोग' करता है, उसे आकर्षित किया जाएगा।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपरोक्त टिप्पणियों और उपरोक्त दो निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में वर्तमान अपीलों में अभियुक्त की ओर से मामले पर विचार करने की आवश्यकता है। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार और यहां तक कि रिकॉर्ड पर साक्षय पर विचार करने पर भी यह देखा जा सकता है कि वर्तमान आरोपी ए 1 और ए 3 पर किसी भी हथियार का इस्तेमाल करने का आरोप नहीं है। बेनी और प्रभाकरण के खिलाफ किसी भी हथियार के इस्तेमाल का आरोप था। इसलिए, इसमें अपीलकर्ताओं द्वारा किसी भी घातक हथियार के उपयोग के किसी भी आरोप के अभाव में-अभियुक्त संख्या। 1 और 3 खंड 397 आई. पी. सी. को आकर्षित नहीं किया जाएगा और उस हद तक अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील-अभियुक्त यह प्रस्तुत करने में सही हैं कि उन्हें आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए था।

13. तथापि, अगला प्रश्न जो इस न्यायालय के विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है, एक बार यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अभियुक्त नहीं हो सकता था

आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के बावजूद उनकी दोषसिद्धि और सजा आई. पी. सी. की धारा 391 के तहत कायम रखी जा सकती है या नहीं।

इस प्रकार सभी अभियुक्तों पर लर्नड ट्रायल कोर्ट द्वारा आई. पी. सी. की धारा 395 के साथ-साथ आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया था। उपरोक्त अपराधों के साथ पक्षकार मुकदमे के लिए गए। इसलिए, एक बार मामला आई. पी. सी. की धारा 395 के तहत दंडनीय आई. पी. सी. की धारा 391 के तहत उन्हें आई. पी. सी. की धारा 395 के तहत दंडनीय आई. पी. सी. की धारा 391 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है क्योंकि आरोपी पर कोई पूर्वाग्रह नहीं डाला जाएगा। अन्यथा भी जैसा कि इस न्यायालय ने रमेशभाई के मामले में अभिनिर्धारित किया था।

मोहनभाई कोली बनाम गुजरात राज्य, (2011) 11 एस. सी. सी. 111, जब किसी बड़े अपराध का आरोप नहीं लगाया जाता है, तो उक्त छोटे अपराध के लिए आरोप के अभाव में भी एक छोटे अपराध के लिए दोषसिद्धि कायम रखी जा सकती है। यह देखा गया है कि यदि किसी अभियुक्त पर कब्र का आरोप लगाया जाता है

अपराध लेकिन यह योग्यता या तकनीकी प्रकृति की चूक के आधार पर स्थापित नहीं किया जाता है, उसे दोषी ठहराया जा सकता है और बिना किसी मामूली अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है।

शुल्क में परिवर्तन। पैराग्राफ 31 और 43 में इसे इस प्रकार मनाया और अभिनिर्धारित किया गया है:

गणेशन वी. राज्य प्रतिनिधि। स्टेशन हाउस अधिकारी द्वारा [एम. आर. शाह, जे.]

गंभीर प्रकृति के अपराध में अपने आप में कम लेकिन संज्ञेय अपराध के आवश्यक तत्व शामिल हैं। दूसरे शब्दों में, मानव शरीर के खिलाफ अपराध, संपत्ति के खिलाफ अपराध और धोखाधड़ी, गबन, जालसाजी आदि से संबंधित अपराधों जैसे अपराधों के वर्ग हैं। घटनाओं के सामान्य क्रम में, गंभीर और कम का सवाल

में आने वाले अपराधों के संबंध में गंभीर अपराध उत्पन्न होंगे

एक ही वर्ग और आम तौर पर वर्गों के बीच नहीं हो सकता है। अभियोजन पक्ष से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उसके अनुसार सभी साक्षय एकत्र करे।

आरोप जिसके साथ अभियुक्त पर आरोप लगाया जाता है, उचित से परे सन्देह हो रहा है। केवल उन्हीं मामलों में, किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यदि न्यायालय का विचार है कि

गंभीर अपराध गुण-दोष या एक के लिए स्थापित नहीं किया गया है

तकनीकी प्रकृति का चूक, यह अभी भी दंडित करने के लिए आगे बढ़ सकता है कम गंभीर प्रकृति और विषय वस्तु के अपराध के लिए अभियुक्त।

*** *** ***

43. ऊपर बताए जाने के बाद, आइए अब जांच करें कि किस तरह का

अभिलेख पर साक्षय के साथ। इस तरह के उदाहरण हम पहले ही देख चुके हैं जैसे कि आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत आरोप तय किया जा रहा है और आरोपी को धारा 304 भाग I के तहत दंडित किया जा रहा है या II, जैसा कि मामले की परिस्थितियों और तथ्यों की मांग हो सकती है।

इसके अलावा, एक व्यक्ति जिस पर अपराध का आरोप लगाया गया है

आई. पी. सी. की धारा 326 को अंततः आई. पी. सी. की धारा 325 या 323 के तहत कम गंभीरता के अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, यदि मामले के तथ्य ऐसे हैं।

स्थापित करें "।

15 अन्यथा भी धारा 391 के बीच कोई अंतर नहीं है।

और आई. पी. सी. की धारा 397 को छोड़कर जहाँ तक सजा/सजा है

आई. पी. सी. की धारा 397 के मामले में सजा सात साल से कम नहीं होगी। अन्यथा, 'डकैती' और 'डकैती' कुछ और नहीं बल्कि एक [2021] 10 एस. सी. आर. के साथ 'डकैती' का एक अतिरंजित संस्करण है।

धारा 395 आई. पी. सी. के साथ पढ़ें। इस तथ्य के बावजूद कि निचली अदालतों ने आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत दोषी ठहराया, जिसे अस्थिर माना जाता है, उस मामले में भी अगर मामला आई. पी. सी. की धारा 391 के तहत बनाया जाता है, जिसे आई. पी. सी. की धारा 395 के साथ पढ़ा जाता है, फिर भी उन्हें आरोप में बदलाव किए बिना भी आई. पी. सी. की धारा 391 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। जैसा कि वर्तमान मामले में ऊपर देखा गया है, विद्वत निचली अदालत ने आरोपी के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 395 और 397 दोनों के तहत आरोप तय किए।

16. अब जहाँ तक अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुत करने की बात है

-

आरोप लगाया कि आई. पी. सी. की धारा 391 के तहत अपराध के लिए कोई मामला भी नहीं बनाया गया है और उन्हें आई. पी. सी. की धारा 395 के तहत दंडित नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो साबित करने की आवश्यकता है वह संयुक्त रूप से पांच या अधिक व्यक्तियों की संलिप्तता है।

डकैती करने में और वर्तमान मामले में केवल चार व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाता है और अभियोजन पक्ष पांच या अधिक व्यक्तियों की संलिप्तता साबित करने में विफल रहा है। हालाँकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि एफ़. आई. आर. में

डकैती में शामिल पांच लोगों का संदर्भ था। यहाँ तक कि पाँच लोगों के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया गया था। हालाँकि, जब दो आरोपी फरार हो गए, तो मुकदमा विभाजित हो गया और तीन अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया। एक आरोपी बेनी पर बाद में मुकदमा चलाया गया और एक व्यक्ति अभी भी फरार है। यहां तक कि सभी अदालतों द्वारा नीचे दिए गए समवर्ती निष्कर्ष भी दर्ज किए गए हैं कि पांच व्यक्ति डकैती के अपराध में शामिल थे। केवल इसलिए कि कुछ आरोपी फरार हो गए और कम

मुकदमे में पांच व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया, यह नहीं कहा जा सकता है कि आई. पी. सी. की धारा 391 के तहत दंडनीय अपराध आई. पी. सी. की धारा 395 के तहत दंडनीय नहीं है। पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों द्वारा डकैती के अपराध में शामिल होने और उसे अंजाम देने पर विचार करने की आवश्यकता है।

क्या पाँच या अधिक व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया था। एक बार जब यह साक्षय पर पाया जाता है कि पाँच या अधिक व्यक्तियों ने संयुक्त रूप से डकैती का अपराध किया है या डकैती का प्रयास किया है, तो मामला धारा 391 गणेश v के तहत आएगा।

राज्य प्रतिनिधि। स्टेशन हाउस अधिकारी द्वारा [एम. आर. शाह, जे.]

आई. पी. सी. और 'डकैती' की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। इसलिए, तथ्यों और परिस्थितियों में, आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 391 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है जो आई. पी. सी. की धारा 395 के तहत दंडनीय है।

17. अब जहाँ तक अभियुक्त की ओर से निवेदन है कि

बाद के मुकदमे में अभियुक्तों में से एक-बेनी को बरी कर दिया गया और इसलिए बेनी को बरी करने का लाभ वर्तमान अभियुक्त को दिया जाना चाहिए और उसके बाद वे बरी हो सकते हैं, इसका कोई आधार नहीं है। शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और मुकदमे में दिए गए साक्षय के आधार पर उन्हें दोषी ठहराया जाना चाहिए जिसमें वे दोषी ठहराए गए हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि बेनी पर 15 साल की अवधि के बाद मुकदमा चलाया गया क्योंकि उसका मुकदमा विभाजित हो गया था क्योंकि वह फरार था। बेनी के मामले में पारित निर्णय और बरी करने के आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि बेनी के मामले में मुकदमे के दौरान पीडब्लू1 मुकर गया। बेनी के मामले में केवल पाँच गवाहों से पूछताछ की गई और किसी भी कारण से अन्य गवाहों से पूछताछ नहीं की गई। वर्तमान मामले में पीडब्लू1 ने न केवल अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया, बल्कि 15 गवाहों से पूछताछ की गई। इसलिए, केवल इसलिए कि बाद के विभाजन परीक्षण में बेनी बन गया

इस तरह के बरी होने का लाभ वर्तमान अपीलार्थियों-अभियुक्तों के पक्ष में नहीं हो सकता है क्योंकि अभियोजन पक्ष वर्तमान अभियुक्त के खिलाफ मामले को साबित करने में सफल रहा है। इस स्तर पर, इस निर्णय का

अमृता बनाम एम. पी. राज्य के मामले में न्यायालय। , (2004) 12 एस. सी. सी. 224; गंगाधर बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य, (2002) 8 एस. सी. सी. 381 और राजा बनाम राज्य, (2013) 12 एस. सी. सी. 674 को संदर्भित करने की आवश्यकता है। अमृता (सुप्रा) के मामले में, यह देखा गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल एक ही साक्षय पर कुछ अभियुक्तों को बरी करने से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि सभी अभियुक्तों को बरी करने और दोषसिद्धि दोनों के संबंध में साक्षय के मूल्यांकन पर उचित कारण दिए जाने की स्थिति में बरी होने के योग्य हैं। राजा (सुप्रा) के मामले में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया है।

और गंगाधर (सुप्रा)। इसलिए, ऊपर वर्णित तथ्यों पर विचार करने पर, जिसके कारण बेनी के मामले में बरी कर दिया गया, वर्तमान आरोपी जिनके खिलाफ अभियोजन पक्ष साक्षय का नेतृत्व करके मामले को साबित करने में सफल रहा है, अपीलार्थी-अभियुक्तों को बरी नहीं किया जाना है।

18. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, इन दोनों अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है जहां तक कि खारिज कर दिया गया है और दोनों अपीलों को रद्द कर दिया गया है।

आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत अपराध के लिए अभियुक्त अपीलार्थियों को दोषसिद्धि। आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त की दोषसिद्धि को इसके द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है और अपीलार्थी-अभियुक्त [2021] 10 एस. सी. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. पी. सी. की धारा 391 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और आई. पी. सी. की धारा 395 के तहत दंडनीय और सात साल के आर. आई. और जुर्माने की सजा सुनाई गई। 2, 000/- और चूक में और छह महीने के आर. आई. से गुजरना होगा।

वर्तमान अपीलों को उपरोक्त सीमा तक आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है -

देविका गुजराल

आंशिक रूप से

अपीलें